भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 461

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

धान की खरीद के लिए लंबित धनराशि जारी करना

461. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत धान की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई उक्त सहायता का वर्ष वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लंबित धनराशि जारी करने हेतु केरल राज्य सरकार के अनुरोध सहित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत धान की खरीद के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण पर व्यय की प्रतिपूर्ति लागत शीट के आधार पर की जा रही है, जिसमें खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और निम्नलिखित दो योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली के विकल्प का चयन करने वाले राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं:

(i) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी; और

(ii) विकेंद्रीकृत राज्यों को खाद्य सब्सिडी।

(ख) से (घ): भारतीय खाद्य निगम/खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद/वितरण के लिए राज्यों को भुगतान किया जाता है। अनंतिम लागत शीट (पीसीएस) के आधार पर, केंद्रीय योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के वितरण के लिए डीसीपी राज्यों को निर्धारित राशि के 100% और परिवर्ती लागत के 95% तक की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसमें अन्य आकस्मिक व्यय के साथ-साथ एमएसपी घटक भी शामिल हैं। राज्य सरकारों के अनंतिम तिमाही दावों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोसेस किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा केरल राज्य सहित सभी डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी की ग्राह्य राशि निरंतर जारी की जा रही है।इस विभाग द्वारा राज्यों को खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, राज्यों में किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 6.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 10 वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विकेंद्रीकृत राज्यों को जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1554.83	2254.42	1364.25	3212.82	6060.17	4542.57	7404.42	8424.72	9323.38	6635.97
2	बिहार	0	1146.41	2540.92	1495.24	4535.11	2291.68	2535.71	4117.33	7671.90	10966.10
3	छत्तीसगढ़	2374.87	3332.71	3328.93	3141.28	4272.36	3303.19	4628.11	7193.13	9047.77	7574.81
4	गुजरात	0	0	55.57	46.21	0.00	9.31	69.03	9.24	749.43	311.54
5	कर्नाटक	492.95	0	0	0.00	166.95	417.53	205.79	323.99	1682.12	2191.75
6	केरल	427.82	744.84	834.42	419.25	782.06	620.23	469.30	1214.98	1777.86	1544.89
7	मध्य प्रदेश	3398.88	5668.11	5737.29	5354.97	8113.23	6026.97	8888.39	11946.44	14420.62	9471.50
8	महाराष्ट्र	0	0	0	0	583.66	0.00	1920.17	2555.74	4082.07	2725.75
9	ओडिशा	3041.11	3785	3331.39	3847.72	5133.57	4651.01	5807.45	8985.73	7892.69	7600.05
10	पंजाब	-	75	300.00	2877.68	796.33	1722.33	1612.09	1761.53	2047.53	1202.49
11	राजस्थान	67.50	90.97	155.11	-	-	-	-	-	-	-
12	तमिलनाडु	1007.49	914.55	936.89	2303.76	651.70	1136.61	3242.79	3109.76	6250.93	8685.95
13	तेलंगाना	-	200.00	1390.08	1716.71	3853.71	2559.31	4858.89	6879.59	7665.02	5242.76

14	उत्तर प्रदेश	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	उत्तराखंड	318.22	385.42	408.67	346.80	860.11	329.8	903.12	1371.33	1554.43	1212.25
16	पश्चिम बंगाल	1551.14	2578.38	2465.86	2441.93	2042.30	3279.69	2194.86	8792.03	5421.34	6580.11
17	झारखंड	-	--	-	-	-	-	-	3.66	-	-
18	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	29.79	15.58	148.67
19	संघ राज्य क्षेत्रों को नकद लाभ अंतरण	-	-	69.62	133.97	148.74	139.25	204.24	182.78	186.87	187.90
		14240	21175.81	22919	27338.34	38000	31029.48	44944.36	66901.77	79789.54	72,282.50

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 6.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्यों में किसानों को भुगतान किए गए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुमानित मूल्य को दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में):

राज्य	केएमएस 2013-14	केएमएस 2014-15	केएमएस 2015-16	केएमएस 2016-17	केएमएस 2017-18	केएमएस 2018-19	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23
आंध्र प्रदेश	94.32	5737.84	9125.52	8171.73	9253.50	12552.75	14988.27	15797.68	12916.52	8629.20
तेलंगाना	3214.74	3307.52	3323.37	7889.49	8370.00	13555.50	20193.69	26355.61	21407.90	26899.44
असम	0.00	31.28	88.83	101.43	82.15	267.75	571.73	396.02	1098.04	1217.88
बिहार	1843.17	3276.24	2574.66	2707.74	1835.20	2478.00	3633.63	6648.21	8710.60	8578.20
चंडीगढ़	22.27	20.40	33.84	27.93	32.55	33.25	39.93	52.30	52.38	38.76
छत्तीसगढ़	8378.76	6946.88	7243.17	8824.41	7419.85	10220.00	13587.09	13275.88	17849.94	17856.12
गुजरात	0.00	0.00	1.41	1.47	1.55	24.50	38.12	205.48	236.68	361.08

राज्य	केएमएस 2013-14	केएमएस 2014-15	केएमएस 2015-16	केएमएस 2016-17	केएमएस 2017-18	केएमएस 2018-19	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23
हरियाणा	4698.97	4089.52	6020.70	7861.56	9234.90	10295.25	11666.82	10563.54	10732.08	12109.44
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	28.56
झारखंड	0.00	12.24	231.24	142.59	192.20	399.00	689.70	1174.97	1460.82	350.88
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	14.10	17.64	29.45	24.50	27.23	70.98	79.54	69.36
कर्नाटक	0.00	178.16	114.21	0.00	0.00	154.00	110.72	384.81	424.86	42.84
केरल	702.16	748.00	792.42	665.91	750.20	1214.50	1288.65	1429.02	1451.12	1491.24
मध्य प्रदेश	2042.29	1637.44	1786.47	2882.67	2534.25	3643.50	4713.56	6962.04	8891.02	9445.20
महाराष्ट्र	314.40	403.92	483.63	677.67	413.85	1515.50	3161.73	3547.33	3554.08	3767.88
ओडिशा	5469.25	6812.24	7090.89	7964.46	7604.30	11446.75	12808.46	14445.24	13781.76	16148.64
पंजाब	15848.38	15804.56	19677.96	24249.12	27388.50	29603.00	29462.90	37886.78	36334.26	37150.44

राज्य	**केएमएस 2013-14**	**केएमएस 2014-15**	**केएमएस 2015-16**	**केएमएस 2016-17**	**केएमएस 2017-18**	**केएमएस 2018-19**	**केएमएस 2019-20**	**केएमएस 2020-21**	**केएमएस 2021-22**	**केएमएस 2022-23**
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	38.12	44.83	112.52	91.80
तमिलनाडु	1336.20	2133.84	2508.39	310.17	2266.10	3330.25	5882.42	8387.32	5350.52	6903.36
उत्तर प्रदेश	1188.17	2472.48	6043.26	4989.18	6430.95	8443.75	10267.46	12485.71	12712.82	13362.00
उत्तराखंड	61.57	832.32	1259.13	1549.38	88.35	1205.75	1847.67	2002.50	2240.70	1827.84
पश्चिम बंगाल	1391.22	3108.96	3176.73	4074.84	3806.80	5094.25	4905.95	5191.17	6850.14	6552.48
कुल	**46605.87**	**57553.84**	**71589.93**	**83109.39**	**87734.65**	**115519.25**	**139923.80**	**167307.42**	**166316.20**	**172922.64**

****